(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 02/2023-State Tax

Dated: 15 .../. 2./2023

No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 1058 — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification No. 73/2017- State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(80)/Fin.(Rev-I)/2017/18/DS-VI/57, dated 31st January, 2018, namely: —

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the1stday of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.".

Note: The principal notification No. 73/2017- State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(80)/Fin.(Rev-I)/2017/18/DS-VI/57, dated 31st January, 2018 and was last amended, vide notification number 12/2022 - State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(31)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/898, dated 17th November, 2022.

> By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

419/8177-111 20/12/23

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

Dated: 1.5 / 42 /2023

No. F.3 (| 6)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 105₽

Copy forwarded for information to:-

The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

4 The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

50 (Policy) W

ACCHOLICY)

- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate New Delhi.
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.
- 12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I) (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या- 02/2023-राज्य कर

दिनांकः <u>/5</u>/ <u>/</u>2023

सं.फा.03(| 6) / वित्त(व्यय—I) / 2023—24 / डीएस—I / / 0 5 ि : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में, सं.फा.03(80) / वित्त(राजरव—I) / 2017—18 / डीएस—VI / 57, द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना सं. 73 / 2017—राज्य कर, 31 जनवरी, 2018 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पांचवा परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019—20 से 2021—2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर—4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अविध के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है।"

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. 73/2017—राज्य कर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में सं.फा. 03(80)/ वित्त(राजस्व—I)/2017—18/ डीएस—VI/57, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी। और उसका दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV में सं.फा.03(31)/ वित्त(व्यय—I) 2022-23/ डीएस—I/898, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2022- राज्य कर, 17 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय- I)

सं.फा.03(16) / वित्त(व्यय—I) / 2023—24 / डीएस—I / /०५६ विनांकः / / / / 2023 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

अायुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 विशेष सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय– I)